

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1- समस्त अपर मण्डलीय निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उ०प्र०। | 2- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ०प्र०। |
| 3- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,
राजकीय चिकित्सालय, उ०प्र०। | |

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 2/ अगस्त, 2015

विषय: सी०बी०आई० जांच से आच्छादित फर्मों से औषधियों का कय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि एन०आर०एच०एम० प्रकरण में सी०बी०आई० द्वारा कतिपय फर्मों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है जिसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा० न्यायालय में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि औषधि कय हेतु फर्मों से दर अनुबंध किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निविदा प्रपत्रों के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों में शर्त संख्या-9 निम्नलिखित रूप से अभिलिखित किया गया है :-

“Firms should give an affidavit that there is no Court Case/ Vigilance Case/CBI Case pending against the firm. All the documents given in the tender are true. If found false/fake the person who is giving affidavit is fully responsible Any action taken against person/firms will have to be accepted by the firm. .(court case means “criminal case” against firm/board of director/directors /principle stock holder as per relevant laws.)”

यह भी अवगत कराना है कि उक्त निविदा के क्रम में कतिपय ऐसी फर्मों द्वारा भी निविदा डाली गयी जिनके विरुद्ध सी०बी०आई० द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है, जिसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा० न्यायालय में चल रहा है। सी०बी०आई० जांच से आच्छादित फर्मों द्वारा डाली गयी निविदा के क्रम में उन फर्मों से औषधि कय के सम्बन्ध में इसी आधार पर विचार नहीं किया गया और न ही इन फर्मों से किसी औषधि के कय हेतु शासन द्वारा दर अनुबंध की अनुमति ही दी गयी है। सी०बी०आई० जांच से आच्छादित फर्मों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	फर्म का नाम	फर्म के विरुद्ध दर्ज एफ०आई०आर० का विवरण
1	M/s. Daffodills Pharmaceuticals, Jawahar Nagar, Rohta Road, Opp. Godwill Public School, Meerut	RC/DST/2012/A/0004
2	M/s Micron Pharmaceuticals, Plot No. 2117 A-2, Phase 3, GIDC, Vapi, Gujarat	RC/DST/2012/A/0009

3	M/s Jackson laboratories Pvt. Ltd, Amritsar, Punjab	(i)RC/DST/2013/A/0014 (ii)RC/DST/2014/A/0004 (iii) RC/DST/2013/A/0002
4	M/S Care Pharma r/o 6/194, IMRT near Business School, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow.	(i)RC/DST/2013/A/0017 (ii)RC.3(A)/2013 – SCB/LKO
5	M/s Anod Pharma PVT. LTD. KANPUR	(i)RC.1(A)/2012/SC- III/ND(SCB Lucknow) (ii) RC. 2/2012-EOU-IV

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सी०बी०आई० जांच से आच्छादित उक्त फर्मों से चिकित्सालयों द्वारा डी०जी०एस० एण्ड डी०/ई०एस०आई० सी० अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

3- वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन०आर०एच०एम० प्रकरण में सी०बी०आई० जांच से आच्छादित उपर्युक्त फर्मों से चिकित्सालयों द्वारा डी०जी०एस० एण्ड डी०/ई०एस०आई०सी० अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) शासन के अग्रिम आदेशों तक कदापि न किया जाय। यदि किसी चिकित्सालय प्रभारी द्वारा शासन की बिना अनुमति के इन फर्मों से औषधि क्रय किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों का पालन कराने हेतु प्रेषित :-

- 1- मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए०पी० सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1— समस्त अपर मण्डलीय निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उ०प्र०। | 2— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ०प्र०। |
| 3— समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,
राजकीय चिकित्सालय, उ०प्र०। | |

चिकित्सा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय: सी०बी०आई० जांच से आच्छादित फर्मों से औषधियों का कय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि एन०आर०एच०एम० प्रकरण में सी०बी०आई० द्वारा कतिपय फर्मों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है जिसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा० न्यायालय में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि औषधि कय हेतु फर्मों से दर अनुबंध किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निविदा प्रपत्रों के प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों में शर्त संख्या-9 निम्नलिखित रूप से अभिलिखित किया गया है :-

“Firms should give an affidavit that there is no Court Case/ Vigilance Case/CBI Case pending against the firm. All the documents given in the tender are true. If found false/fake the person who is giving affidavit is fully responsible Any action taken against person/firms will have to be accepted by the firm. .(court case means “criminal case” against firm/board of director/directors /principle stock holder as per relevant laws.)”

यह भी अवगत कराना है कि उक्त निविदा के क्रम में कतिपय ऐसी फर्मों द्वारा भी निविदा डाली गयी जिनके विरुद्ध सी०बी०आई० द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है, जिसके सम्बन्ध में उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है अथवा उनका ट्रायल मा० न्यायालय में चल रहा है। सी०बी०आई० जांच से आच्छादित फर्मों द्वारा डाली गयी निविदा के क्रम में उन फर्मों से औषधि कय के सम्बन्ध में इसी आधार पर विचार नहीं किया गया और न ही इन फर्मों से किसी औषधि के कय हेतु शासन द्वारा दर अनुबंध की अनुमति ही दी गयी है। सी०बी०आई० जांच से आच्छादित फर्मों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	फर्म का नाम	फर्म के विरुद्ध दर्ज एफ०आई०आर० का विवरण
1	M/s. Daffodills Pharmaceuticals, Jawahar Nagar, Rohta Road, Opp. Godwill Public School, Meerut	RC/DST/2012/A/0004
2	M/s Micron Pharmaceuticals, Plot No. 2117 A-2, Phase 3, GIDC, Vapi, Gujarat	RC/DST/2012/A/0009

3	M/s Jackson laboratories Pvt. Ltd, Amritsar, Punjab	(i)RC/DST/2013/A/0014 (ii)RC/DST/2014/A/0004 (iii) RC/DST/2013/A/0002
4	M/S Care Pharma r/o 6/194, IMRT near Business School, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow.	(i)RC/DST/2013/A/0017 (ii)RC.3(A)/2013 – SCB/LKO
5	M/s Anod Pharma PVT. LTD. KANPUR	(i)RC.1(A)/2012/SC- III/ND(SCB Lucknow) (ii) RC. 2/2012-EOU-IV

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित उक्त फर्मों से चिकित्सालयों द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0 सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

3- वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0आर0एच0एम0 प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच से आच्छादित उपर्युक्त फर्मों से चिकित्सालयों द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन की दर अनुबंध पर औषधियों का स्थानीय क्रय (लोकल परचेज) शासन के अग्रिम आदेशों तक कदापि न किया जाय। यदि किसी चिकित्सालय प्रभारी द्वारा शासन की बिना अनुमति के इन फर्मों से औषधि क्रय किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों का पालन कराने हेतु प्रेषित :-

- 1- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ए0पी0 सिंह)
अनु सचिव।